-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीज ट्रक के फर्जी/कूटरचित अवमुक्त आदेश प्रस्तुत करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19.12.2025 को थाना कोतवाली नगर में आरटीओ व वणिज्य कर विभाग के फर्जी/कूटरचित सीज ट्रक के अवमुक्त कराने के आदेश किए गए थे प्रस्तुत।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीज ट्रक फर्जी/कूटरचित अवमुक्त आदेश प्रस्तुत करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 07.12.2025 को आरटीओ द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उपखनिज का परिवहन करते पाए जाने पर ट्रक संख्या BR01GN9923 को सीज कर थाना कोतवाली नगर को सुपुर्द कर मण्डी समिति में खड़ा कराया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 19.12.2025 को 02 व्यक्तियों द्वारा उक्त ट्रक रिलीज कराने हेतु थाना कोतवाली नगर में आरटीओ बांदा व वणिज्य कर विभाग बांदा के अवमुक्त आदेश प्रस्तुत किए गए थे। पुलिस को उक्त आदेश संदिग्ध प्रतीत होने पर सम्बन्धित विभागो/कार्यालयो से सत्यापन कराया गया तो उक्त वाहन अवमुक्ति का आदेश कूटरचित/फर्जी पाया गया जिसके सम्बन्ध तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गल्ला मण्डी में ट्रक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी-

- सीज ट्रक के आरटीओ बांदा व वणिज्य विभाग बांदा के फर्जी/कूटरचित अवमुक्ति आदेश प्रपत्र।
- 01 चारपहिया वाहन (स्विफ्ट)
- 15 हजार रुपए
- 03 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धनपति सिंह पुत्र हिन्दूपति सिंह निवासी मोहल्ला सुभाषनगर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
2. विक्रम सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह निवासी हथ रोहना थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 949/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0निरी0 थाना कोतवाली नगर
2. श्री अरविन्द कुमार मौर्य चौकी प्रभारी अलीगंज
3. हे0कां0 राकेशचन्द्र
4. कां0 अखिलेश कुमार